

बिहार सरकार

**बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना**

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-22/2025 (फार्मासिस्ट)

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के अधीन फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-22/2025 के अन्तर्गत दिनांक-06.02.2026 से 10.02.2026 तक आयोजित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के **Website- www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal** पर संधारित है। इस क्रम में दिनांक-19.05.2026 से 24.05.2026 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, निबंधन प्रमाण-पत्र (सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रविष्टि सहित) नहीं रहने के कारण कई अभ्यर्थीगण अयोग्य किये गये हैं।
2. विज्ञापन के कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (इन्टरमीडियट/10+2 (विज्ञान) एवं डिप्लोमा इन फॉर्मैसी के सभी पार्ट (I, II एवं III) में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी का प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र (यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र) दिनांक-08.04.2025 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
4. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-538(4) दिनांक-08.04.2025 के आलोक में आयोग के पत्रांक-1228 दिनांक-17.04.2025 के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना के अनुसार **Online आवेदन में बिहार फार्मैसी काउन्सिल में निबंधन हेतु जमा आवेदन को साक्ष्य के रूप में upload करने वाले अभ्यर्थियों का बिहार फार्मैसी काउन्सिल से रजिस्ट्रीकृत/निबंधित निबंधन प्रमाण-पत्र काउंसलिंग की तिथि तक** का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
5. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है।
6. विज्ञापन के कंडिका-5(i)(b) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-11.03.2025 तक की गई है।

7. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-5(iii) के अनुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कंडिका-5(i)(b) में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
8. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
9. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
10. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
11. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
12. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
13. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।
2. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।


अनुराग सिंह

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।